

2019 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का नाम
 आसी निषेधाज्ञा का नाम
 जाती है पत्रावली वाले कृषक प्रायः
 23-1-2020 को पेश की

23/1/20 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अतिरिक्त
 महोदय को पत्रावली के अतिरिक्त
 पत्रावली दिनांक 19-3-20 को पेश की

19/3/20 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अतिरिक्त
 महोदय को पत्रावली के अतिरिक्त
 पत्रावली दिनांक 4-6-20 को पेश की

4/6/20 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अतिरिक्त
 महोदय को पत्रावली के अतिरिक्त
 पत्रावली दिनांक 30-8-20 को पेश की

13/8/20 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अतिरिक्त
 महोदय को पत्रावली के अतिरिक्त
 पत्रावली दिनांक 29/10/20 को पेश की

22/10/20 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अतिरिक्त
 महोदय को पत्रावली के अतिरिक्त
 पत्रावली दिनांक 23/10/20 को पेश की

23-10-2020 पत्रावली पेश हुई। कृषि उपस्थित है
 जो पत्र में एकपक्षीय बहस चुनी गयी अपावली
 से। विवादित भूमि में रिकॉर्ड खातेदार कृषक
 वर्क है अतः दिनांक 2-2-2018 को भूमि
 खसरा सं. 148 रुबा 6 बीघा 19 बिस्वा एवं
 खसरा सं. 190 रुबा 22 बीघा 01 बिस्वा कुल
 कित 2 कुल रुबा 29 बीघा पर रिकॉर्ड एवं
 मंडी की उपस्थिति बनाए रखे जाने बाबत
 निषेधाज्ञा तर्फसला वाद के आदेश दिये जाते
 है आस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 2-2-2018
 confirm (पुष्ट) की जाती है निर्णय सुनाया




उपखण्ड अधिकारी
 नैनवाँ (धुन्दी)

तारीख
हुकम

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

गया। पत्रावली दाखिल दफतर हो। मूलवाद
के साथ संलग्न रहे। 

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)